

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 53/2024

दायर दिनांक-15.04.2024

1. जवाहरराम पुत्र कानाराम
2. गोविन्द सिंह पुत्र पोकरराम समस्त जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

- वादीगण

बनाम

1. मूलचंद पुत्र कानाराम
2. गिरधारी पुत्र कानाराम
3. नोपाराम पुत्र पोकरराम
4. रणवीर पुत्र रामेश्वरलाल
5. संजू पत्नी रणधीर
6. रवि पुत्र रणधीर
7. नितिन पुत्र रणधीर
8. बिमला पुत्री रामेश्वरलाल
9. अंग्रेस पुत्री रामेश्वरलाल
10. शिशपाल पुत्र सुरजाराम
11. मनीराम पुत्र सुरजाराम
12. अमित पुत्र रामदेवा
13. गणपत पुत्र मुनाराम
14. किस्तुरी पत्नी रामचंद्र
15. इंद्राज पुत्र रामचंद्र
16. फूलचंद पुत्र रामचंद्र
17. अर्जुन सिंह पुत्र पदमाराम
18. रणजीत सिंह पुत्र भागीरथमल
19. गंगाधर पुत्र भागीरथमल
20. मोहरी देवी पत्नी गुमानाराम
21. जमनी देवी पत्नी हरफूल
22. संजीव पुत्र हरफूल
23. विक्रम पुत्र हरफूल
24. रचना पुत्री हरफूल
25. सुनिता पुत्री हरफूल
26. बलबीर सिंह पुत्र गुमानाराम
27. शारदा पत्नी शिशाराम
28. योगेश पुत्र शिशाराम
29. प्रियंका पुत्री शिशाराम
30. सावित्री पुत्री गुमानाराम
31. मंजू पुत्री गुमानाराम
32. भंवरी पुत्री गुमानाराम
33. अमीलाल पुत्र गोपाल
34. हरिसिंह पुत्र गोपाल
35. ओमप्रकाश दत्तक पुत्र हेमा
36. राजकुमार पुत्र श्योचंद



37. केशरदेव पुत्र श्योचंद
38. कृष्णा देवी पत्नी जोधाराम
39. होशियार सिंह पुत्र जोधाराम
40. महेश कुमार पुत्र जोधाराम
41. सुल्तान पुत्र लादू
42. मनभरी पत्नी गणपत
43. सुमन चौधरी पत्नी राजकुमार
44. श्रवणी पत्नी हणमान
45. सुशिला पत्नी मुकन्दाराम समस्त जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
46. प्रबंधक बड़ोदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
47. भूमि धारक (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़।

—प्रतिवादीगण

वकील वादी :— श्री विप्लव पंडित
वकील प्रतिवादी :— श्री संदीप कुमार सैनी

दावा बाबत घोषणार्थ
व दुरुस्ती रिकॉर्ड

—:: निर्णय ::—

दिनांक— 25.11.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 121 की भूमि खसरा नम्बर 66 रकबा 1.14 है0, खसरा नम्बर 70 रकबा 1.18 है0, खसरा नम्बर 71 रकबा 2.00 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.32 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में मृत हरिराम, रामदेवा व गोरली देवी का नाम हटाया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 प्रत्येक को 1/36—1/36 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4, 8 व 9 प्रत्येक को 1/144—1/144 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 प्रत्येक को 1/432—1/432 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 13 को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 16 प्रत्येक को 1/72—1/72 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 17 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 18 व 19 प्रत्येक को 1/48—1/48 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 20, 26 व 30 लगायत 32 प्रत्येक को 1/168—1/168 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 25 प्रत्येक को 1/840—1/840 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 27 लगायत 29 प्रत्येक को 1/504—1/504 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 33, 34, 36 व 37 प्रत्येक को 1/28—1/28 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 35 को 1/14 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 38 लगायत 40 प्रत्येक को 1/42—1/42 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 41 को 1/14 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 42 लगायत 45 प्रत्येक को 1/28—1/28 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे।

वादी द्वारा वाद-पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 45 की ओर से वकील श्री संदीप सैनी ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नहीं होने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

प्रतिवादीगण 01 लगायत 45 की ओर से निर्णय हेतु सहमति होने पर तथा शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। वकील वादी ने शहादत वादी पेश नहीं करना जाहिर किया। वादी द्वारा अपने वाद-पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात नकल जमाबंदीयां पेश किये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी व प्रतिवादीगण ने निर्णय किये जाने हेतु सहमति दी। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक हरिराम, रामदेवा व गोरली देवी

का नाम हजफ किया जाकर उनके वारिसानों को उनके हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है जिस बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण/सभी खातेदार सहमत है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित है।

:: आदेश ::

वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 121 की भूमि खसरा नम्बर 66 रकबा 1.14 है0, खसरा नम्बर 70 रकबा 1.18 है0, खसरा नम्बर 71 रकबा 2.00 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.32 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में मृत हरिराम, रामदेवा व गोरली देवी का नाम हटाया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 प्रत्येक को 1/36-1/36 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4, 8 व 9 प्रत्येक को 1/144-1/144 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 प्रत्येक को 1/432-1/432 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 13 को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 16 प्रत्येक को 1/72-1/72 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 17 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 18 व 19 प्रत्येक को 1/48-1/48 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 20, 26 व 30 लगायत 32 प्रत्येक को 1/168-1/168 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 25 प्रत्येक को 1/840-1/840 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 27 लगायत 29 प्रत्येक को 1/504-1/504 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 33, 34, 36 व 37 प्रत्येक को 1/28-1/28 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 35 को 1/14 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 38 लगायत 40 प्रत्येक को 1/42-1/42 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 41 को 1/14 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 42 लगायत 45 प्रत्येक को 1/28-1/28 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार बेनीपाल)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मुख्यालय (फास्ट-ट्रैक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा सं०:- 53/2024

(जवाहरराम बनाम मूलचंद आदि)

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 25.11.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 121 की भूमि खसरा नम्बर 66 रकबा 1.14 है, खसरा नम्बर 70 रकबा 1.18 है, खसरा नम्बर 71 रकबा 2.00 है कुल किता 3 कुल रकबा 4.32 है के राजस्व रिकॉर्ड में मृत हरिराम, रामदेवा व गोरली देवी का नाम हटाया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 प्रत्येक को 1/36-1/36 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4, 8 व 9 प्रत्येक को 1/144-1/144 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 प्रत्येक को 1/432-1/432 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 13 को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 16 प्रत्येक को 1/72-1/72 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 17 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 18 व 19 प्रत्येक को 1/48-1/48 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 20, 26 व 30 लगायत 32 प्रत्येक को 1/168-1/168 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 25 प्रत्येक को 1/840-1/840 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 27 लगायत 29 प्रत्येक को 1/504-1/504 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 33, 34, 36 व 37 प्रत्येक को 1/28-1/28 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 35 को 1/14 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 38 लगायत 40 प्रत्येक को 1/42-1/42 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 41 को 1/14 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 42 लगायत 45 प्रत्येक को 1/28-1/28 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.11.2024 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	—	स्टाम्प अर्जी	—
महनताना वकील	—	महनताना वकील	—
खर्चा गवाहान	—	खर्चा गवाहान	—
फीस कमिश्नर	—	फीस कमिश्नर	—
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	बाबत इजराय हुक्मनामा	—
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00